e-12356224/PSA/16
20/7/16

1 copy

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग

क्रमांक–एफ17(1)/1/भामाशाह/DES/2014 दिनांक– 11.7.2016

जिला कलक्टर,
समस्त, राजस्थान।

विषयः– प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर भामाशाह सर्विस डिलीवरी व्यवस्था के प्रदर्शन (Live Demonstration) एवं भामाशाह प्लेटफॉर्म से जुड़ी विभागीय योजनाओं से सम्बन्धित समस्या/शंका समाधान शिविरों के आयोजन बाबत्।

जैसा कि आपको विदित है कि राज्य में विभिन्न राजकीय योजनाओं के नकद एवं गैर–नकद लाभ भामाशाह योजना के माध्यम से हस्तान्तरित किये जा रहे है। सभी नागरिक उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग कर प्रभावी एवं पारदर्शी तरीके से योजनाओं के लाभ ले सके, इसके लिए पॉइन्ट ऑफ सेल (PoS) मशीन/माइक्रो एटीएम आदि एवं भामाशाह योजना में लाभ हस्तांतरण की प्रक्रिया के संबंध में और अधिक प्रचार–प्रसार एवं जागरूकता की आवश्यकता है।

साथ ही समय–समय पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA), बीपीएल तथा सामाजिक सुरक्षा योजना पेंशन की पात्रता सूचियों से सम्बन्धित प्राप्त होने वाली जन–सामान्य की समस्याओं का अविलम्ब निराकरण किया जाना भी आवश्यक है।

उपर्युक्त के मध्यनजर यह निर्णय लिया गया है कि सभी जिलों में प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर (यथासम्भव अटल सेवा केन्द्र पर) दो दिवसीय भामाशाह योजना सम्बन्धित जानकारी के प्रचार–प्रसार, नकद एवं गैर–नकद लाभ हस्तानान्तरण तथा पेंशन व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) सम्बन्धी समस्या समाधान शिविरों का आयोजन 25 जुलाई, 2016 से 05 अगस्त, 2016 के मध्य किया जाए। इन शिविरों में सम्पादित की जाने वाली गतिविधियों के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश शासन सचिव, आयोजना द्वारा पृथक से जारी किये जा रहे है।

(ओ. पी. मीणा)
मुख्य सचिव, राजस्थान

क्रमांक–एफ17(1)/1/भामाशाह/DES/2014 दिनांक–11.7.2016

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
2. वरि. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
3. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
7. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, वित्त भवन जयपुर।
9. राज्य समन्वयक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक ऑफ बड़ोदा, जयपुर।
10. एसीपी (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, समस्त जिला....................
11. उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, समस्त जिला....................
12. उपखण्ड/विकास अधिकारी/ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, समस्त जिला....................
13. रक्षित पत्रावली।

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव, आयोजना

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग

क्रमांक–एफ17(1)/1/भामाशाह/DES/2014 दिनांक– 11-07-2016

जिला कलक्टर,
समस्त, राजस्थान।

विषयः– प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर भामाशाह सर्विस डिलीवरी व्यवस्था के प्रदर्शन (Live Demonstration) एवं भामाशाह प्लेटफॉर्म से जुड़ी विभागीय योजनाओं से सम्बन्धित समस्या/शंका समाधान शिविरों के आयोजन बाबत्।

संदर्भः– श्रीमान् मुख्य सचिव महोदय का समसंख्यक पत्रांक दिनांक 11.7.2016

महोदय,

माननीय मुख्यमंत्री महोदया के निर्देशानुसार भामाशाह योजना प्लेटफार्म से लाभ हस्तांतरण प्रक्रिया के व्यापक प्रचार–प्रसार तथा आमजन को इस संबंध में आने वाली समस्याओं/शंकाओं के समाधान हेतु सभी जिलों में ब्लॉक स्तरीय भामाशाह योजना प्रचार–प्रसार एवं समस्या समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे है। इस संबंध में श्रीमान् मुख्य सचिव महोदय के संदर्भित पत्र का अवलोकन करे, जिसके द्वारा आपको अपने जिले के प्रत्येक ब्लॉक में 25 जुलाई, 2016 से 05 अगस्त, 2016 के मध्य उक्त शिविर लगाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इन ब्लॉक स्तरीय दो दिवसीय शिविरों, जिनकी अवधि स्थानीय आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा सकती है, में भामाशाह योजना के संबंध में संपादित किये जाने वाले कार्यो मय उत्तरदायी अधिकारी के संबंध में निम्न प्रकार दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे है :–

भामाशाह योजना संबंधी कार्य एवं प्रचार प्रसार (IEC)

क्र. सं.	काउंटर	गतिविधियाँ	उत्तरदायी अधिकारी
1.	बैंकिंग पॉइन्ट ऑफ सर्विस/पे–पॉईन्ट	1.न्यूनतम चार PoS मशीन/माइक्रो एटीएम मय बी.सी./ऑपरेटर स्थापित कर बॉयोमैट्रिक सत्यापन या रूपे कार्ड से राशि आहरण करवाना। 2.शिविर में आगंतुको को PoS मशीन/माइक्रो एटीएम की कार्य प्रणाली की विस्तृत जानकारी देना। 3. ब्लॉक में स्थापित सभी बैंकिंग पॉइन्ट ऑफ सर्विस (PoS मशीन/माइक्रो एटीएम/बीसी) केन्द्रों की जानकारी देना।	प्रोग्रामर/बीएसओ/ब्लॉक समन्वयक/एलएसपी/कार्पोरेट बी.सी.
2.	बैंकिंग सेवाएँ	1. रूपे कार्ड का वितरण। 2. पिन का वितरण। 3. कार्ड एक्टिवेशन (माइक्रो एटीएम/एटीएम से)। 4. बैंक खाते में आधार सीडिंग।	बैंक शाखा प्रबंधक
3.	सीडिंग/नामांकन अद्यतन/नवीन नामांकन/भामाशाह कार्ड वितरण	1. नरेगा, पीडीएस, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि योजनाओं के शेष लाभार्थियों की सीडिंग। 2. भामाशाह नामांकन अद्यतन, नवीन भामाशाह/आधार नामांकन। 3. पूर्व में नामांकित परिवारों में परिवार के शेष सदस्यों का नामांकन कर परिवार का नामांकन पूर्ण करना। 4. अवितरित भामाशाह कार्डो का वितरण।	शिविर प्रभारी के निर्देशन में ई–मित्र कियोस्क/बीएसओ/ग्राम सचिव
4.	प्रचार–प्रसार गतिविधियाँ	1. भामाशाह योजना की जानकारी सम्बन्धी विभिन्न पैम्पलेट्स/लीफ लेट्स का वितरण 2. वीडियो फिल्म का प्रदर्शन 3. फ्लैक्स का प्रदर्शन 4. पॉइंट ऑफ सेल (PoS) मशीन से राशन वितरण प्रक्रिया का प्रदर्शन।	बीएसओ/रसद निरीक्षक
5.	राजस्थान सम्पर्क	1. शिविर में प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के परिवादों यथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन, NFSA, राशन वितरण, बैंक से राशि आहरण, कनेक्टिविटी आदि सम्बन्धी आपत्तियों, को राजस्थान सम्पर्क पर दर्ज करना।	प्रोग्रामर/सूचना सहायक

3

समस्या समाधान

क्र. सं.	परियोजना/योजना	सम्भावित समस्या	समाधान हेतु की जाने वाली कार्यवाही	उत्तरदायी अधिकारी
1.	ई–पीडीएस	1. NFSA सूची से गलत तरीके से नाम कट जाना।	• आवेदक की पात्रता की जाँच कर पात्र पाये जाने पर भामाशाह में NFSA [Yes] सीडिंग करवाना।	रसद निरीक्षक
		2. लाभार्थी के आधार सत्यापन में कठिनाई।	इस संबंध में सभी उपभोक्ताओं एवं राशन डीलरों को निम्नानुसार जागरुक किया जाये :– • उपयोग करने से पहले सेंसर व उंगलियों/अंगूठे को साफ रखना। • सेंसर पर केप्चर होने तक उंगली/अंगूठा लगाये रखना। • सेंसर पर उंगली/अंगूठा लगाते समय उसको हल्का सा दबाये। • बार–बार फेल होने पर परिवार के किसी अन्य सदस्य के आधार नम्बर को सीड करवाकर राशन प्राप्त कर सकते है। • वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) (भामाशाह/आधार में पंजीकृत मोबाइल फोन पर) के माध्यम से राशन वितरण कराना। • यदि सत्यापन असफल हो तो कैम्प में आधार डेटा में अपने बायोमैट्रिक अद्यतन करे।	ब्लॉक पर गठित सर्विस डिलीवरी टीम/ सूचना सहायक/ संगणक
		3. NFSA/बीपीएल में नाम जुड़वाने हेतु आवेदन।	• व्यक्ति से आवेदन प्राप्त कर, जाँच पश्चात 10 दिवस में निस्तारण करना।	उपखण्ड अधिकारी
		4. डीलर द्वारा PoS से राशन वितरित न करना।	• पाँच दिन के अन्दर मौके पर जाकर जाँच कर PoS से राशन वितरण सुनिश्चित करना।	रसद निरीक्षक, ब्लॉक पर गठित सर्विस डिलीवरी टीम, सूचना सहायक, संगणक
		5. डीलर द्वारा कनेक्टिविटी की समस्या बताकर राशन न देना /कनेक्टिविटी न होना।	• एक सप्ताह में कनेक्टिविटी की स्थिति की जाँच कर आवश्यकता होने पर सिग्नल स्ट्रैंथ बढ़ाने हेतु बाहरी एण्टिना लगवाना। • सर्वोत्तम नेटवर्क वाली सिम लेने हेतु निर्देशित करना। • सिम पर डेटा का नियमित रिचार्ज करना।	ब्लॉक पर गठित सर्विस डिलीवरी टीम/ सूचना सहायक/ संगणक
		6. NFSA लाभार्थियों की जानकारी नहीं होना/सूची उपलब्ध नहीं होना।	• शिविर में पंचायतवार NFSA लाभार्थियों की सूची प्रदर्शित की जाएगी।	रसद निरीक्षक/ ब्लॉक सां. अधि. /प्रोग्रामर